T2

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

कार्यालय प्रवर्तन अनुभाग

पत्रांक 338/डी/अ0नि0/21 दिनांक 28-09-2021

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम–एत्मादपुर मदरा, रायपुर व रहनकलॉ की भूमि के भू–अधिग्रहण अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना दिनांक 14.09.2010 एवं धारा–6/17(1) की अधिसूचना शासन द्वारा दिनांक 24.05.2011 को जारी की जा चुकी है। धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी हो जाने के उपरान्त ग्राम–एत्मादपुर मदरा, रायपुर व रहनकलॉ की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना प्रतिबन्धित है। भू–अधिग्रहण अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी हो जाने के उपरान्त स्थल पर किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है एवं उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 का उल्लंघन है एवं स्पष्ट किया जाता है कि धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर किये गये किसी प्रकार के निर्माण का मुआवजा प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जायेगा।

28/09/21

विशेष कार्याधिकारी